

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 मई 2022—ज्येष्ठ 2, शक 1944

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मई 2022

क्र. एफ 3-7-2022-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा-13 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर एतद्द्वारा श्री शिवकांत पाण्डेय, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष तक के लिये संभागीय सतर्कता समिति, जबलपुर में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, सचिव.